



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

38

पुनरीक्षण क्रमांक-

/2012 R-405-1/2012

महेश प्रसाद गर्ग, उम्र-73 वर्ष तनय श्री
रामबहोरी गर्ग, निवासी-ग्राम उमरी अहरी टोला
सतना (म.प्र.)

—आवेदक/निगराकार

बनाम

की शिकायत के द्वारा आज दिनांक 2-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. जयशंकर प्रसाद वल्द श्री जगन्नाथ प्रसार मिश्रा,
आयु-65 वर्ष, निवासी-उत्तरीकरोदिया, डिग्री
कॉलेज के पास, सीधी म.प्र. हाल मुकाम अतहर
मुसलमान के मकान में अहरी टोला सिविल
लाईन सतना म.प्र.
2. अशोक कुमार शुक्ला वल्द श्री नंद किशोर,
निवासी-अहरी टोला सिविल लाईन सतना
(म.प्र.)
3. म.प्र. शासन ।

—गैरनिगराकार/अनावेदकगण

अन्य कृपया

निगरानी विरुद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक-14अ12/2011-2012

आदेश दिनांक 20/12/2011

महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

यह कि, प्रार्थी/निगराकार ग्राम उमरी तहसील रघुराज नगर, जिला
सतना म.प्र. का कृषक है और उसकी कृषि भूमियाँ तथा रिहायशी
मकान ग्राम उमरी में अहरी टोला के पास बने हुये हैं।

2. यह कि, गैर निगराकार क्रमांक-1 ने आवेदन के पत्र देकर अपने भूमि
स्वामित्व की भूमि 186/2 रकवा 5 डिसमिल का सीमांकन दिनांक

मुख्या प्रक्षारी (रा.मं.)
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Handwritten signature

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-405-एड/12

जिला - ~~ग्वालियर~~

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...दस्तावेज..... रजिस्ट्रार के प्रकरण क्रमांक ...14/25/12/11/12... में पारित आदेश दिनांक...12/1/11... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु दस्तावेज को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...18/10/19...को दस्तावेज के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	